देशदीपक
ACC Name- Desh Deepak
(Stamp Vendor)
Licence Number -20/2009-10
E-Stamping ACC Id-UP14119104
Tehsil-Jasrana Dist -Firozabad

6185/22

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP63835805696962U
Certificate Issued Date	:	08-Aug-2022 01:45 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14119104/ FIROZABAD/ UP-FRZ
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14119104195192260061 21U
Purchased by	:	CH BACHCHU SINGH COLL OF EDU BY SACHIV DEEPAK KR
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	PROPERTY AT MAUJA-BAIRANI SANAURA, TEHSIL-SHIKOHABAD, DISTT-FIROZABAD, GATA NO-609, ETC.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	CH BACHCHU SINGH COLL OF EDU BY SACHIV DEEPAK KR
Second Party	:	CH BACHCHUSINGH CHARITABLE TRT BY SACHIV DEEPAK KR
Stamp Duty Paid By	:	CH BACHCHU SINGH COLL OF EDU BY SACHIV DEEPAK KR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,000 (Three Thousand only)

(I)

E-Stamp locked by
Sub-Registrar, Jasrana

Please write or type below this line

लीज डीड	अवधि	स्टाम्प	मौजा
144000/	30वर्ष अनधिक	3000/	बैरनी सनौरा

दीपक यादव

दीपक यादव

PU 0000544287

Statutory Alert:

(2)

हम कि चौ0 बच्चूसिंह कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन खैरगढ रोड बैरनी सनौरा तहसील जसराना हाल तह0 शिकोहावाद जिला फिरोजावाद द्वारा प्रबन्धक /सचिव दीपक कुमार यादव पुत्र श्री बच्चूसिंह निवासी सीता नगर नगला भाऊ फिरोजावाद प्रथम पक्ष मालिक जायदाद लीज पर देने वाले मो0 नं0 9457037740 आ0 नं0 943623495399 व चौधरी बच्चूसिंह चेरिटेवल ट्रस्ट मुहल्ला बंशीगौहरा मैंनपुरी शहर व जिला मैंनपुरी द्वारा प्रबन्धक/सचिव दीपक कुमार यादव पुत्र श्री बच्चूसिंह निवासी सीता नगर नगला भाऊ फिरोजावाद जिला फिरोजावाद मो0 9457037740 आ0नं0 943623495399 द्वितीय पक्ष लीज पर लेने वाले ।

विदित हे कि एक किता जगह 87120/सतासी हजार एक सौ बीस वर्गफीट मौकूका खेत नं0 609 रकवा 0.599 है0ल0वरू0 पूर्ण व 520 रकवा 0.405 है0 ल0 वरू0 वार्षिक का 1/4 भाग व 521 रकवा 1.538 है0 का 5/24 भाग अपने मेसे सिर्फ 0.109 है0 यानी 0.809 है0 जिसमें आवादी घोषितं है स्थित मौजा बैरनी सनौरा तह0 शिकोहावाद जिला फिरोजावाद जिसका प्रथमपक्ष एक मात्र मालिक व काबिज दखील हैं।

जिसमें मुझ प्रथम पक्ष का कोई साझीदार व भागीदार नहीं है ।चूँकि उपरोक्त लिखी भूमि मुझ प्रथम पक्ष के किसी प्रयोग में नहीं आ रही है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन व खाली जगह को लीज पर लेने को तैयार है इस कारण हम दोनो पक्ष के

मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत पावन्द होते हुए ये लीज डीड तहरीर करते है और लिखे देते है लीज डीड की प्रतेक शर्त की पावन्दी हम दोनो पक्ष तथा हमारे वारिसान पर अनिवार्य व लागू होगी। शरायत इस प्रकार है–

1–यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह स्थित मौजा बैरनी सनौरा तह0 जसराना हाल तह0 शिकोहावाद जिला फिरोजावाद को द्वितीय पक्ष को आज दिनांक 08 अगस्त 2022 ई0 से 06 अगस्त 2052 के लिए यानी 30 **वर्ष अनधिक** के लिए लीज पर देने का अनुबन्ध किया हैं और बाबत लीज शुदा कब्जा व दखल जगह पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है।

2–यह कि द्वितीय पक्ष उक्त अपनी उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह पर लीज दिनॉक से 30 वर्ष अनधिक तक पूर्णतः अधिकारी रहेगा।

3– यह कि द्वितीय पक्ष चौधरी बच्चूसिंह चेरिटेबिल ट्रस्ट मुहल्ला बंशीगौहरा मैंनपुरी शहर व जिला मैंनपुरी द्वारा प्रबन्धक/सचिव दीपक कुमार यादव पुत्र श्री बच्चूसिंह निवासी सीता नगर नगला भाऊ फिरोजावाद जिला फिरोजावाद चलाने समस्त कार्यवाही पूरी कर शैक्षणिक संस्थान से सम्बन्धित लीज शुदा जगह को शैक्षणिक संस्थान के कार्यो में ही प्रयोग कर सकेगा ।

दीपक यादव

दीपक यादव

आवेदन सं०: 202200773007331

पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 6185 वर्ष: 2022

प्रतिफल- 144000 स्टाम्प शुल्क- 3000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1440 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 1500

श्री चौ0 बच्चूसिंह कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन द्वारा
दीपक कुमार यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री बच्चूसिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: सीता नगर नगला भाऊ फिरो0 तह0 व जिला फिरो0 ,सचिव

श्री, चौ0 बच्चूसिंह कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन द्वारा दीपक कुमार यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक
08/08/2022 एवं 02:47:39 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव कुमार प्रभारी
उप निबंधक [illegible]
फिरोजाबाद
[illegible]

[illegible] गोविन्द शर्मा
निबंधक लिपिक
08/08/2022

प्रिंट करें

4–यह कि द्वितीयं पक्ष लीज शुदा जगह पर अपनी सुविधा अनुसार स्थाई व अस्थाई निर्माण कर सकेगा । जिसमें प्रथम पक्ष की रजामंदी की आवश्यकता नहीं होगी।
5–यह कि लीज करार /लीज अवधि 30 वर्ष अनधिक से पूर्व नही समाप्त नहीं होगी।
6–यह कि लीज की अवधि सीमा समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष लिखी जगह व भवन व खाली जगह को खाली कर प्रथम पक्ष को कब्जा व दखल सौंप देगा और न ही किसी अन्य प्रकार की कोई दावेदारी करेगा और करेगा तो प्रथम पक्ष का अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत लीज शुदा भूमि खाली करा लेवे जिसके समस्त हर्जे व खर्चे को देने का मुस्तहिक द्वितीय पक्ष होगा।
7–यह कि द्वितीय पक्ष व्यवसाय करने हेतु किसी संस्था या साहूकार या बैंक आदि से कर्जा लेता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी कर्ज लेने वाले की होगी एवं साहूकार का लीज शुदा जायदाद से कोई सरोकार नही होगा यदि साहूकार या बैंक लीज शुदा

दीपक रावत   दीपक रावत

आवेदन सं०: 202200773007331

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 6185	वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री चौ0 बच्चूसिंह कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन के द्वारा दीपक कुमार यादव, पुत्र श्री बच्चूसिंह

निवासी: सीता नगर नगला भाऊ फिरो0 तह0 व जिला फिरो0 ,सचिव

व्यवसाय: व्यापार

पट्टा गृहीता: 1

श्री चौधरी बच्चूसिंह चेरिटेवल के द्वारा दीपक कुमार यादव सचिव, पुत्र श्री बच्चूसिंह

निवासी: सीता नगर नगला भाऊ फिरोजावाद तह0 व जिला फिरो0

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अर्जुनसिंह, पुत्र श्री कौशलेन्द्रसिंह

निवासी: आरौंज तह0 शिको0 जिला फिरो0 आ0नं0 659596334586

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री रामनिवास, पुत्र श्री धर्मवीरसिंह

निवासी: जरौली खुर्द तह0 टूण्डला जिला फिरो0 आं0 नं0 589014299949

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव कुमार प्रभारी
उप निबंधक : जसराना
फ़िरोजाबाद
08/08/2022

बाल गोविन्द शर्मा
निबंधक लिपिक फ़िरोजाबाद
08/08/2022

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

प्रिंट करें

जायदाद पर कब्जा करते है तो उसे अवैध समझा जावेगा। यह भी विदित रहे कि प्रबंधक दीपक कुमार यादव को ट्रस्ट के समस्त सदस्य की बैठक द्वारा लीज एवं सभी कार्य करने के लिए चुना गया है।

अतः हम दोनों पक्षों ने खूव सोच समझकर स्थिर वुद्वि की पूर्ण सचेत दशा में यह लीज डीड अवधि 30 बर्ष अनधिक लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दीपक यादव

दीपक यादव

(6)

लेखपत्र हाजा में चस्पा फोटो मुकिरान द्वारा प्रमाणित है इति लेख दिनांक 08/08/2022 ई0 लेखक योगेन्द्रपालसिंह यादव दस्तावेज लेखक उपनिवंधक कार्यालय जसराना

साक्षी–अर्जुनसिंह पुत्र श्री कौशलेन्द्रसिंह निवासी आरौंज तहसील शिकोहावाद जिला फिरोजावाद मो0 9412461009

साक्षी–रामनिवास पुत्र श्री धर्मवीरसिंह निवासी जरौली खुर्द तहसील टूण्डला जिला फिरोजावाद मो0 9410430588

...वज लेखक योगेन्द्रपाल सिंह यादव
अनुज्ञप्ति सं0 7 लिखाई फीस 86
08/08/022